प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

11 नवंबर 2021

भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण / स्विच

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹30,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/स्विच के प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

नीलामी की तारीख	मूल प्रतिभूतियां	मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य)	नियत प्रतिभूतियां
15 नवंबर 2021	5.09% जीएस 2022 (13 अप्रैल 2022 को परिपक्व होने वाली)	₹4,000 crore	एफ़आरबी 2031 (7 दिसंबर 2031 को परिपक्व होने वाली)
		₹4,000 crore	एफ़आरबी 2034 (30 अक्तूबर 2034 को परिपक्व होने वाली)
	8.35% जीएस 2022 (14 मई 2022 को परिपक्व होने वाली)	₹4,000 crore	7.57% जीएस 2033 (17 जून 2033 को परिपक्व होने वाली)
	8.15% जीएस 2022 (11 जून 2022 को परिपक्व होने वाली)	₹8,000 crore	7.57% जीएस 2033 (17 जून 2033 को परिपक्व होने वाली)
	8.13% जीएस 2022 (21 सितंबर 2022 को परिपक्व होने वाली)	₹4,000 crore	एफ़आरबी 2031 (7 दिसंबर 2031 को परिपक्व होने वाली)
		₹6,000 crore	एफ़आरबी 2034 (30 अक्तूबर 2034 को परिपक्व होने वाली)
	कुल	**₹30,000 crore**	

बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे दो दशमलव स्थानों तक मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।

नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात् सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में **15 नवंबर 2021 (सोमवार)** को **पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे** के बीच प्रस्तुत करनी होगी। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान **16 नवंबर 2021 (मंगलवार)** को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है :

- अधिसूचित राशि से कम राशि के लिए प्रस्तावों को स्वीकार करना।
- पूर्णांकन प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना ।
- बिना कोई कारण दिये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश एवं अन्य विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1179